


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक A/506 / जबलपुर, दिनांक 29/01/2025
दो-14-9/83 बैंच

श्रीमती आरजू खण्डेलवाल, पर्सनल असिस्टेंट उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू. प्रौ.सं.) द्वारा आयोजित Course on Computer Concepts (CCC) पाठ्यक्रम हेतु एक दिवसीय ऑनलाईन परीक्षा" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. यह कि, वे कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगी तथा शासकीय कार्य को लगन से करेंगी। यदि यह पाया गया कि वह शासकीय कार्य करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करती हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त कर दी जावेगी।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिये अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(धर्मेन्द्र सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/507 / जबलपुर, दिनांक 29/01/2025
दो-14-9/83 बैंच

प्रतिलिपि :—

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 5474 / स्था. / 34 / 2024 ग्वालियर, दिनांक 15.10.2024 के संदर्भ में।

//2//

2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / डिप्टी रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्रीमती आरजू खण्डेलवाल, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

xx.